



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 19.10.2025

1. थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी/ छिनैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/छिनैती के 11 मोबाइल फोन व 02 दो पहिया वाहन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 19.10.2025 को थाना सेक्टर-49 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन चोरी/ छिनैती करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 05 अभियुक्त 1. दीपांशु उर्फ दीपू पुत्र महिपाल 2. चाँद मोहम्मद पुत्र रफीक 3. कुनाल कुमार पुत्र चन्दन प्रसाद 4. कुनाल यादव पुत्र पप्पे यादव 5. ललित कुमार पुत्र बब्बू कुमार को जलवायु विहार के पीछे खाली पड़े मैदान से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी/छिनैती के 11 मोबाइल फोन, चोरी की 01 स्कूटी व 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि वे मोबाइल फोन छिनने के लिए पहले से ही भीड़-भाड़ या एकांत स्थान चुन लेते हैं। इसके बाद मोटरसाइकिल/स्कूटी पर सवार होकर हाथ में मोबाइल लेकर चलने या बात करने वाले व्यक्तियों से मोबाइल छिनकर भाग जाते हैं। छिने गए मोबाइल को बाद में बेच देते हैं। आज भी वे छिने हुए मोबाइल को बेचने की फिराक में थे ।

⇓ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. दीपांशु उर्फ दीपू पुत्र महिपाल निवासी ग्राम चिरौला, थाना गंजद्वारा, थाना दरियागंज, कासगंज वर्तमान पता नया गांव, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर, उम्र 18 वर्ष ।
2. चाँद मोहम्मद पुत्र रफीक निवासी ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर, उम्र 21 वर्ष ।
3. कुनाल कुमार पुत्र चन्दन प्रसाद निवासी कटरा बिरादरी जापली, बलिया वर्तमान पता सलारपुर, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर, उम्र 20 वर्ष ।
4. कुनाल यादव पुत्र पप्पे यादव निवासी बाझिलनगर, बुलन्दशहर वर्तमान पता रोजा जलालपुर, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र 21 वर्ष ।
5. ललित कुमार पुत्र बब्बू कुमार निवासी आवास विकास कॉलोनी, हापुड़ वर्तमान पता हैबतपुर, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र 21 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

⇓ (अभियुक्त दीपांशु पुत्र महिपाल)--

1. मु0अ0सं0 011/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 320/2025 धारा 304(2),317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0सं0 321/2025 धारा 317(5),112(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर ।

⇓ (अभियुक्त चाँद मोहम्मद पुत्र रफीक)--

1. मु0अ0सं0 265/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 011/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0सं0 012/2025 धारा 109 बीएनएस व 4/9/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर ।
4. मु0अ0सं0 320/2025 धारा 304(2),317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर ।
5. मु0अ0सं0 321/2025 धारा 317(5),112(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर ।

⇓ (अभियुक्त कुनाल कुमार पुत्र चन्दन प्रसाद)--

1. मु0अ0सं0 128/2025 धारा 281/106(1) बीएनएस, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 266/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0सं0 320/2025 धारा 304(2),317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर ।
4. मु0अ0सं0 321/2025 धारा 317(5),112(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर ।

⇓ (अभियुक्त कुनाल यादव पुत्र पप्पे यादव)--

1. मु0अ0सं0- 321/2025 धारा 317(5),112(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर ।

⇓ (अभियुक्त ललित कुमार पुत्र बब्बू कुमार)--

1. मु0अ0सं0- 321/2025 धारा 317(5),112(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर ।

⇓ बरामदगी का विवरण--

1. चोरी/ छिनैती के 11 मोबाइल फोन
2. चोरी की स्कूटी बिना नंबर प्लेट
3. 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0- DL7SCM5382

2. थाना फेस-1 पुलिस द्वारा एक मोबाइल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किए हुए 02 मोबाइल फोन व 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 19.10.2025 को थाना फेस-1 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन चोरी करने वाला अभियुक्त रज्जाक पुत्र जमील को सेक्टर-14 गंदे नाले के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए हुए 02 मोबाइल फोन व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है ।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने एक दिन पूर्व नोएडा, सेक्टर-2 में स्थित एक कम्पनी से iTel कम्पनी का एक मोबाइल फोन चोरी किया था तथा उसी दिन दूसरी कम्पनी से Realme कम्पनी का एक और मोबाइल फोन चोरी किया था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि लगभग दो महीने पहले रात के समय सेक्टर-15 में एक घर से दो मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, एक लैपटॉप चार्जर तथा एक माउस और एक पर्स चोरी किए थे। अभियुक्त द्वारा बताया कि चोरी किए गए दोनों मोबाइल फोन, दोनों लैपटॉप एवं लैपटॉप चार्जर गाजीपुर (दिल्ली) मंडी के पास रास्ते में चलते-फिरते लोगों को बेच दिए थे, तथा पर्स व उसमें रखे कागजात नाले में फेंक दिए थे। अभियुक्त ने यह भी बताया कि एक iPhone 11 उसने डेढ़ महीने पहले सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन के नीचे चोरी किया था, जिसे उसने कल्याणपुरी में रास्ते में चलते-फिरते लोगों को बेच दिया था और प्राप्त रुपये अपने शौक पूरे करने तथा नशा करने पर खर्च कर दिए ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

रज्जाक पुत्र जमील निवासी नया बांस गांव, सेक्टर-15, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर, उम्र 20 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 442/2025 धारा 305/317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0- 365/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0सं0- 411/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर ।
4. मु0अ0सं0- 230/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी किए हुए 02 मोबाइल फोन
2. 01 अवैध चाकू

3. थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19.10.2025** को **थाना रबूपुरा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त फरमान पुत्र हनीफ को सेक्टर-20(ग्रेटर नोएडा) पार्क के पास वाली रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है ।

अभियुक्त का विवरण--

फरमान पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला गांधीनगर, कस्बा व थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 232/2025 धारा 9(1)(क)(i)/25(2) आयुध अधि0 थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर ।